न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/76/2021	2021/193	08.10.2021	06.05.2024

1. फाबूला राम पुत्र स्व0 श्री रामधन, जाति मीणा, उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी ग्राम झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

——अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ, तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

—— रेस्पाडेंट

अपील विरूद्व आज्ञा न्यायालय नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ जिला अलवर दिनांक 10.08.2020, कि जिसके द्वारा मुकदमा संख्या 59/08 बअनुवानी रिपोर्ट पटवारी हल्का बनाम फाबूला, अंतर्गत धारा 91 राजस्व भू—राजस्व अधिनियम 1956 कि जिसके द्वारा अपीलांट को खसरा नंबर 1014 रकबा 19 ऐयर में से 03 ऐयर वाके ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से बेदखल करने एवं लगान की 50 गुणा शास्ति राशि वसूल करने के आदेश सादिर किये गये। बमुराद मंसुखी उक्त आदेश व स्वीकार किए जाने अपील अपीलांट।

उपस्थितः—

01—जगदीश चंद सतीजा —वकील अपीलान्ट

02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेंट

—ःनिर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ जिला अलवर दिनांक 10.08.2020, कि जिसके द्वारा मुकदमा संख्या 59/08 बअनुवानी रिपोर्ट पटवारी हल्का बनाम फाबूला, अंतर्गत धारा 91 राजस्व भू—राजस्व अधिनियम 1956 कि जिसके द्वारा अपीलांट को खसरा नंबर 1014 रकबा 19 ऐयर में से 03 ऐयर वाके ग्राम झालाटाला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से बेदखल करने एवं लगान की 50 गुणा शास्ति राशि वसूल करने की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आलोच्य आदेश जेरे अपील दिनांक 10.08.2020 का है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित भी हुआ था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान नहीं किया तथा यह कहा कि सुनवाई के समय आपको सूचना देकर बुलवा लिया जायेगा किन्तु तहत न्यायालय ने अपीलांट को कोई सूचना नही दी और बिना सुने ही न्याय के कुदरती सिद्वांतो के विरूद्व आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसकी जानकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अपीलांट दिनांक 05.11.2020 को हल्का पटवारी से हुई, जिस पर अपीलांट ने आदेश की नकल लेने हेतु आवेदन पेश किया, और उसी रोज सायंकाल नकल प्राप्त हुई, तत्पश्चात अविलंब ही आज यह अपील बिना देरी के अदालत श्रीमान में प्रस्तुत है, जो अंदर मियाद स्वीकार किए जाने योग्य है। जेर दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश है। अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2 रूपये चस्पा है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ जिला अलवर के आलोच्य आदेश के विरूद्व अपील हाजा माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आराजी खसरा नंबर 1014 रकबा 19 ऐयर में से 03 ऐयर रकबा वाके ग्राम झालाटाला से बेदखल करने की आज्ञा सादिर की है, वह आराजी अपीलांट एवं उसके भाई स्व0 मथुरा राम पुत्र श्री रामधन की आराजी खसरा नंबर 1013 से लगती हुई है तथा खसरा नंबर 1013 में अपीलांट की पाटौड, पोली बनी हुई है व बोरिंग भी है तथा बिजली कनैक्शन भी लिया हुआ है तथा कूडी है तथा मौके पर रिहायश कदीमी से होती आ रही है ताथ अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 1013 के तरफ उत्तर में आने–जाने का रास्ता प्रश्नगत खसरा नंबर 1014 में होकर जारी है तथा अपीलांट का इस बाबात मुकदमा भी वर्ष 2009 से लंबित है। अपीलांट ने किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने सडक बनाते समय 200 मीटर लंबी सडक बनाई थी और दोनों तरफ 4–4 फुट ऊँची दीवर बनाई थी, जो पूर्ववत आज भी मौके पर कायम है। यह कि खसरा नंबर 1014 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। पूर्व सरपंच ने महज चुनावी रंजिश के कारण पटवारी हल्का पर नाजायज दबाव डालकर गलत रिपोर्ट करवाई है। जबकि खसरा नंबर 1013 के तरफ दक्षिण को आराजी खसरा नंबर 1014 गै0मु0 रास्ता स्थित है, जो तर्फ पूर्व से पश्चिम स्कूल के खेल के मैदान की तरफ जाता है, जिस रास्ते की भूमि की नापतोल करके वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत झालाटाला द्वारा रास्ते के दोनों तरफ 4–4 फुट ऊची व करीब 200–200 फुट लम्बी दीवार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से करदी गई था इस तरह रास्ते की भूमि खसरा नंबर 1014 की नापतोल करके रास्ते के दोनो तरफ दीवार करादी गई थी, इसलिए अतिक्रमण का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट ने तहत न्यायालय में यह भी निवेदन किया था कि पैमाईश हेतु कमेटी गठित करके पैमाईश कराली जावे किन्तु पैमाईश नही कराई गई और गलत व बेजा रूप से अपीलांट को बेदखल करने की आज्ञा सादिर करदी, जो कि काबिल खारिज है। अपीलांट अपनी आराजी खसरा नंबर 1013 पर अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज चला आ रहा है। अपीलांट के भाई स्व. मथुरा राम के वारिसान भी मौके पर काबिज है। लेकिन तहत न्यायालय ने केवल मिन अपीलांट के विरूद्व आलोच्य आदेश पारित किया है, जो सरासर गलत व विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अपीलांट ने तथाकथित रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है अपितु इसकी आड में महज चुनावी रंजिश व पार्टीबाजी के कारण मिन अपीलांट को उसकी आराजी खसरा नंबर 1014 में बनी हुई रिहायश व कब्जे से जबरन बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और यदि ऐसा कर दिया गया तो अपीलांट को अजहद नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए आलोच्य आदेश काबिल खारिज है। अन्य वजूहाल वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जायेंगे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर के आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2020 को निरस्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (ब्रज0)

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अवगत करवाया कि रास्ते के दोनों तरफ बडे–बडे पक्के निर्माण हैं। मौके पर विधिवत रास्ता रिकार्डानुसार है। राजनीतिक रूप से दवाब द्वारा तहसीलदार ने यह कार्यवाही की है इसलिए स्वतंत्र टीम से नाप करवाई जाये। साथ ही ये भी अवगत कराया गया कि खसरा न0 1014 गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। रास्ते की भूमि की नाप करके वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत झालाटाला द्वारा रास्ते के दोनों तरफ 4–4 फुट ऊंची एवं 200–200 फुट लम्बी दीवार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से कर दी गई थी तो अतिक्रमण कैसे हो सकता है। रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है महज चुनावी रंजिश व पार्टीवाजी के कारण राजनीतिक दवाब से प्रकरण बनाकर परेशान किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय विस्तृत पारित नहीं किया गया है। आराजी नम्बरों की जो नाप भी शामिल की गई है वो विधिवत नहीं हैं। स्वतंत्र राजस्व टीम द्वारा प्रकरण में नाप की आवश्यकता प्रतीत होती है। अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ दिनांक 10.08.2020 प्रकरण संख्या 59/2008 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस आशय के साथ तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विधिवत राजस्व टीम जिसमें दो गिरदावर एवं दो पटवारी हो जो कि संबंधित हल्के से नहीं हों को गठित कर तहसीलदार अपनी स्वयं की देख–रेख में सीमांकन का कार्य प्रभावित पक्षों की उपस्थिति में करवाने की सुनिश्चितता करें और यदि सीमांकन के पश्चात रास्ते की जमीन पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो विधिवत प्रकरण दर्ज कर एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत निर्णय एक माह की अवधि में पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)